

हमारा प्रयास



आपका आवास

रेरा पंजीकरण संख्या

UPRERAPRJ166089/10/2024

रेरा वेबसाइट:- www.up-rera.in/projects



रेरा संबंधित जानकारी के लिए QR Code Scan करें।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

104-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-5ए में विभिन्न प्रकार के
स्व-वित्तपोषित सेमीफिनिशड भवनों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

पंजीकरण पुस्तिका

पंजीकरण की तिथि

दिनांक:- 17-07-2025 से

17-08-2025 तक



डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) | 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)












































































































































































































































































































































उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

एक परिचय

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास सम्बन्धी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- ❖ प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास सम्बन्धी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- ❖ केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- ❖ भूमि अर्जित करना एवं आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित कर उनको आवंटित करना।
- ❖ समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतन्त्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- ❖ केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- ❖ भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफैक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- ❖ प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना। आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं से वांछित ऋण उपलब्ध कराना।
- ❖ परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे विद्युत आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालय एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं।
- ❖ परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

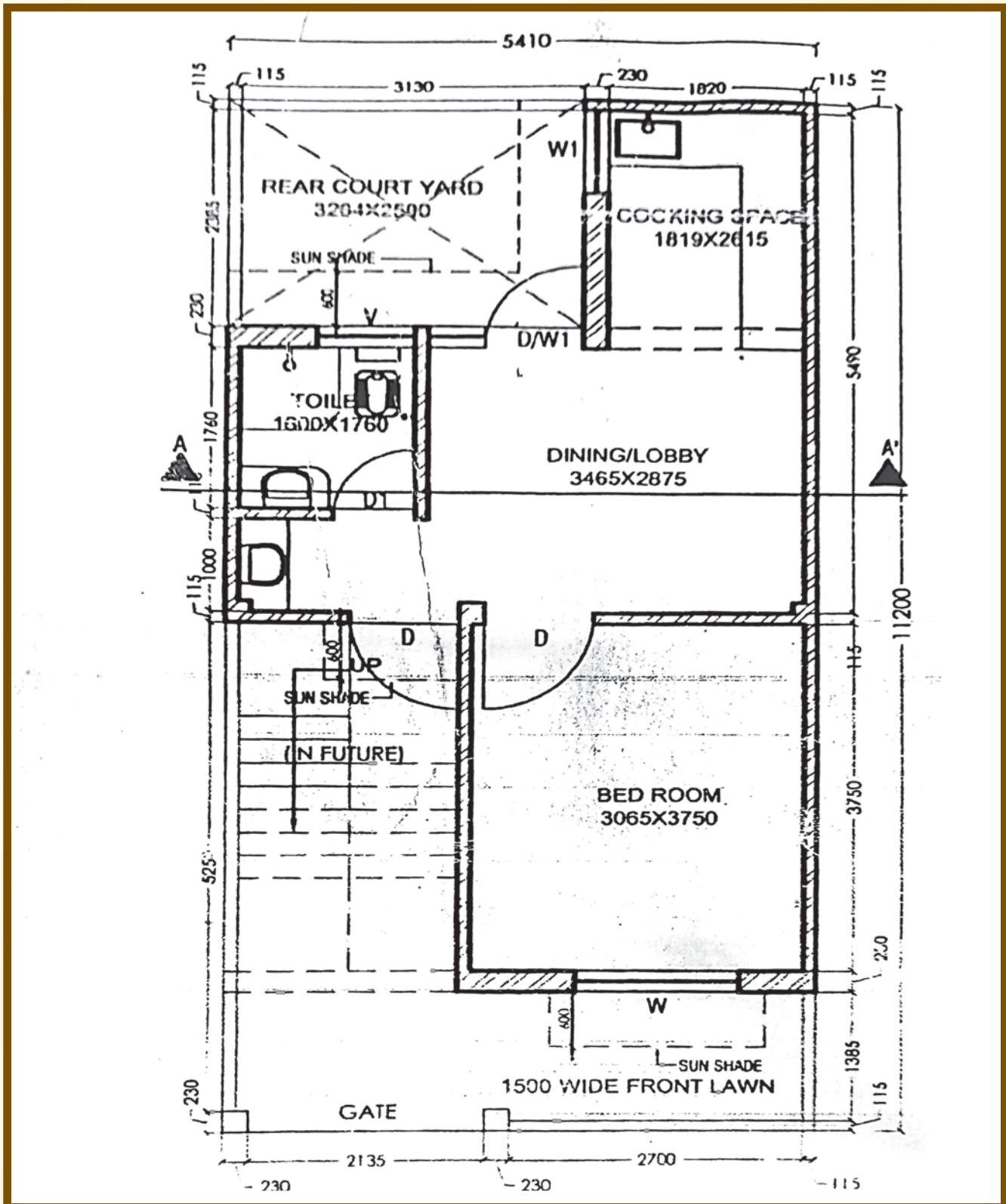
योजना के मुख्य आकर्षण

- ❖ मण्डोला विहार योजना दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (709बी) के दोनों तरफ।
- ❖ भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणाधीन अक्षरधाम (दिल्ली) से देहरादून 6 लेन एलिवेटेड रोड का एन्ट्री एवं एक्जिट मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद में स्थित।
- ❖ अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन (आई0एस0बी0टी0) कश्मीरी गेट से दूरी 15 कि0मी0
- ❖ शिव विहार मेट्रो स्टेशन से दूरी 9 कि0मी0
- ❖ इस्टर्न पैरिफिरेयल एक्सप्रेस-वे से दूरी 8 कि0मी0
- ❖ दिल्ली की सीमा से दूरी मात्र 4 कि0मी0
- ❖ लोनी रेलवे स्टेशन से दूरी मात्र 8 कि0मी0
- ❖ इन्दिरा गाँधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी मात्र 40 कि0मी0
- ❖ योजना में चौड़ी सड़क, जलापूर्ति की सुनियोजित व्यवस्था।
- ❖ सामान्य सुविधाएं जैसे, सड़क, पेयजल, विद्युतीकरण एवं ड्रेनेज।
- ❖ प्रदूषण मुक्त वातावरण हेतु योजना में चौड़ी ग्रीन बेल्ट का प्राविधान।

सेमीफिनिशड भवनों की विशिष्टताएं

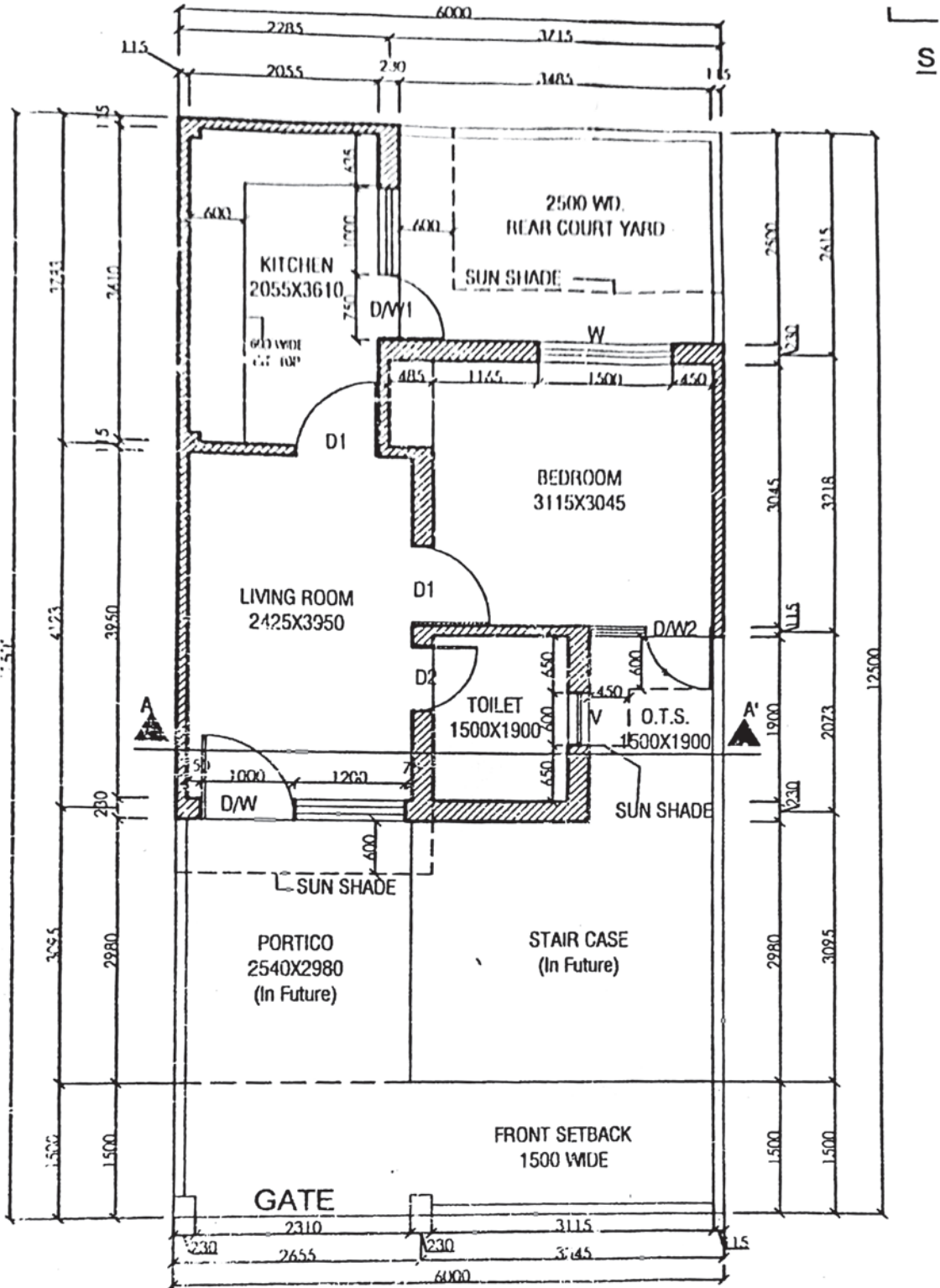
1	ब्रिक वर्क	-	सीमेन्ट कोर्स सेण्ड मोर्टार 1 : 6
2	आर0सी0सी0 वर्क	-	आर0सी0सी0 1 : 1.5 : 3
3	प्लास्टर	-	(अ)- बाहरी दिवारों पर 12एम0एम0 प्लास्टर 1:4 सीमेन्ट कोर्स सेण्ड मोर्टार से, (ब)- आन्तरिक दिवारों पर 12एम0एम0 प्लास्टर 1:6 सीमेन्ट कोर्स सेण्ड मोर्टार से।
4	चौखट फ्रेम	-	एम0एस0 एंगल आयरन 35x35x5mm (सिंगल पताम)
5	विंडो फ्रेम एवं ग्रिल	-	एम0एस0 एंगल आयरन फ्रेम पर एम0एस0 स्क्वायर बार ग्रिल
6	डोर शटर	-	30एम0एम0 फ्लश डोर शटर्स (केवल बाहरी दरवाजों पर)

ग्राउण्ड फ्लोर प्लान (हाउस टाइप - 35/60)



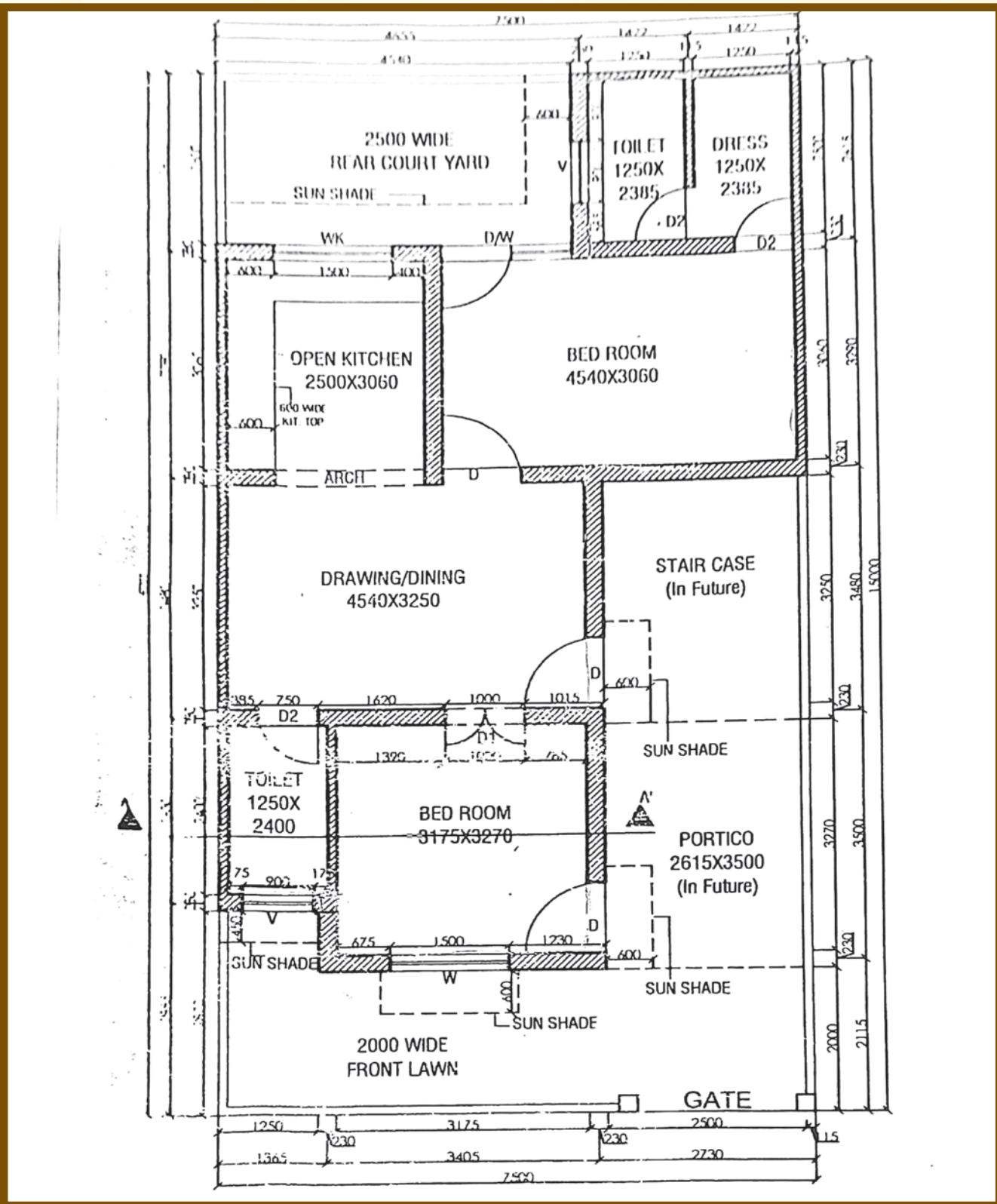
डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) | 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

ग्राउण्ड फ्लोर प्लान (हाउस टाइप - 36/75)



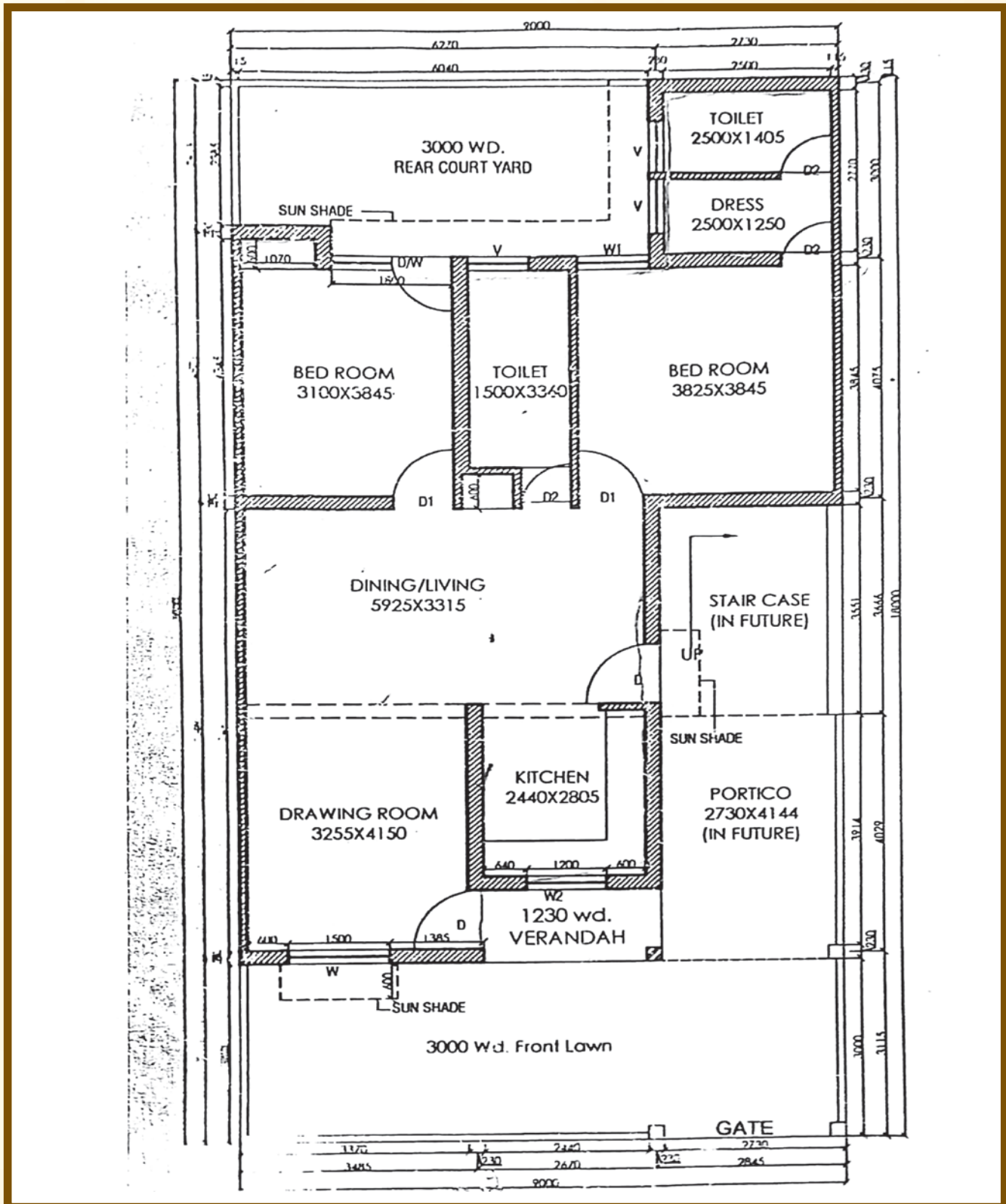
डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) | 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

ग्राउण्ड फ्लोर प्लान
(हाउस टाइप - 66/112)



डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) । 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

ग्राउण्ड फ्लोर प्लान (हाउस टाइप - 95/162)



डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) | 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

प्राविधान/शर्तें:

1. भवन का कब्जा रेरा में अंकित परियोजना पूर्ण होने की तिथि तक हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में एग्रीमेण्ट फार सेल की शर्तों/प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। Force majeure की स्थिति में, किसान आन्दोलन की वजह से हुए विलम्ब पर अथवा ऐसी परिस्थितियाँ जो परिषद के वश में नहीं हैं, उनमें कब्जा देने की तिथि बढ़ाई जा सकती है, जिसपर ब्याज देय नहीं होगा।
2. पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक सम्पत्ति निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन संदेय ब्याज दर पर क्षतिपूर्ति देय होगी।
3. भवन का टाइप डिजाइन व ले-आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणों वश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा-14 में वर्णित प्रतिबन्धों/व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।

1- भुगतान का तरीका

- 1.1 सम्पत्ति को सार्वजनिक लाटरी ड्रा से आवेदक को आवंटित किया जायेगा।
- 1.2 भुगतान की तिथि एवं किशतों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- 1.3 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार, निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किशत की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।
- 1.4 आवंटि किसी भी समय अवशेष किशतों की निर्धारित संख्या से कम किशतों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किशतों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी के स्तर से दी जा सकती है। किशत पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है। उस समय देय अवशेष मूलधन में से 02 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।
- 1.5 सम्पत्ति आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेण्ट फार सेल किया जायेगा जिसका पंजीयन शुल्क आवंटि द्वारा देय होगा। आवंटनोपरान्त एग्रीमेण्ट की schedule-c की समयावधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटि द्वारा किया जायेगा जिसमें एग्रीमेण्ट फार सेल के बिन्दु संख्या-1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- 1.6 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी विनियमावली यथासंशोधित-2016 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 1.7 समस्त भुगतान/पंजीकरण धनराशि परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से RTGS/NEFT एवं ऑनलाइन के माध्यम से जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी।

नोट:-

- अपरिहार्य परिस्थितियों में भवन के मूल्य में वृद्धि होती है तो 30प्र0 भूसम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम 2016, 30प्र0 भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) नियमावली, 2016 तथा भू-सम्पदा विनियम एवं विकास (विक्रय/ पट्टा के लिये करार) नियमावली 2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- भवन का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- भवन का कब्जा रैरा में अंकित परियोजना पूर्ण होने की तिथि तक हस्तगत किया जाएगा। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में एग्रीमेन्ट फार सेल की शर्तों/प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। Force Majeure की स्थिति में, किसान आन्दोलन की वजह से हुये विलम्ब पर अथवा ऐसी परिस्थितियाँ जो परिषद के वश में नहीं हैं उनमें कब्जा देने की तिथि बढ़ाई जा सकती है जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।

2- आवंटन नियम

- 2.1 आरक्षण की सुविधा शासन/परिषद द्वारा नियमानुसार देय होगी।
- 2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
- 2.3 लाटरी ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/ व्यक्तिगत अथवा ई-मेल से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदनुसार परीक्षण के उपरान्त उसका निराकरण संबंधित, सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतएव आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 2.4 सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।
- 2.5 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी। लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।
- 2.6 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दिया जायेगा तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत/ आनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।
- 2.7 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।
- 2.8 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 2.9 प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किश्तों पर भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी ड्रा से कार्यवाही की जायेगी।

डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) । 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

एकमुश्त भुगतान विकल्प देने पर-

आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

किशतों में भुगतान विकल्प देने हेतु-

सम्पत्ति आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फार सेल किया जायेगा जिसका पंजीयन शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा। आवंटनोपरान्त एग्रीमेन्ट की schedule-c की समयावधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा जिसमे एग्रीमेन्ट फार सेल के बिन्दु संख्या- 1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष नोट:-

विक्रय हेतु प्रस्तावित भवनों के क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने के उपरान्त कार्नर इत्यादि के भवनों की स्थिति में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दशा में वास्तविक माप के आधार पर भवनों के घोषित विक्रय मूल्य में संशोधन किया जायेगा।

3- पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो।
- 3.3 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति (एकल भवन/भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।
- 3.4 आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ आवासीय सम्पत्ति (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक सम्पत्ति न हो।
- 3.5 SFS भवनों में आयसीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।

4- पंजीकरण के नियम

- 4.1 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।
- 4.2 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।
- 4.3 लाटरी ड्रा/अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जिसमें आवंटन पत्र जारी करने के 03 माह भीतर आवंटन निरस्त करने संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत, 03 माह पश्चात आवेदन करने पर 50 प्रतिशत कटौती करते हुये शेष धनराशि का 50 प्रतिशत आवंटनी को निरस्तीकरण से 45 दिन में एवं शेष 50 प्रतिशत सम्पत्ति के पुनर्आवंटन अथवा 1 वर्ष में से जो भी पहले हो के अनुसार वापस कर दी जायेगी।
- 4.4 बुकिंग धनराशि जमा करने के पश्चात पात्रता चयन में सफल आवेदक को आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा।

नोट: आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

5— आरक्षण

क्र.सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
वर्टिकल आरक्षण			
1.	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियां ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदनपत्र के साथ जिलाधिकारी/ अपरजिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-----तदैव-----
हॉरिजेन्टल आरक्षण			
1.	मा0 विधायक/ मा0 सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र को प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
2.	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
3.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूल रूप में उपलब्ध करायें। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
4.	दिव्यांग व्यक्ति	5	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
5.	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण-पत्र/पेंशन पेपर के प्रमाण-पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोट:-

- परिषद/ शासनादेश के अनुसार, उपलब्ध सम्पत्ति में आरक्षण वर्ग हेतु निर्धारित आरक्षण देय होगा। उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 (वर्टिकल आरक्षण) में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे, लॉटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। निर्धारित आरक्षण के अनुरूप सम्पत्ति संख्या का निर्धारण वर्गवार करने के उपरांत, हॉरिजेन्टल आरक्षण प्रतिशत के अनुसार, सम्पत्ति संख्या का निर्धारण करके, प्रत्येक वर्ग में पहले हॉरिजेन्टल आरक्षण श्रेणी को, सम्पत्ति आवंटन करने के उपरांत उस वर्ग के अन्य (बिना हॉरिजेन्टल आरक्षण वाले) आवेदकों के मध्य किया जायेगा। आरक्षण के अंतर्गत आवेदकों को, केवल एक बार ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा, जिसमें असफल रहने पर, उन्हें बिना हॉरिजेन्टल आरक्षण वाले आवेदकों के साथ, पुनः ड्रॉ में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्रेणी:-

- कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण को कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे, उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) । 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

35/60 प्रकार के भवनों का आवंटन प्रक्रिया एल0आई0जी0 भवनों की संख्या- 52 (35/60 प्रकार)

क्र. सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित प्रतिशत	आवंटन योग्य भवनों की संख्या	पात्र आवेदकों की संख्या	हरिजेन्टल आरक्षण का प्रतिशत एवं पात्र आवेदकों एवं उपलब्ध फ्लैटों की संख्या																							कुल अवशेष भवन						
					मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता सेनानी के अश्रित (5 प्रतिशत)	50 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी (5 प्रतिशत)			परिषद विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी (2 प्रतिशत)				विध्यांग व्यक्ति (5 प्रतिशत)				वृद्धजन (10 प्रतिशत)				कुल उपलब्ध भवन	हरिजेन्टल हेतु कुल उपलब्ध भवन	हरिजेन्टल हेतु कोटे में प्राप्त आवेदन	हरिजेन्टल हेतु कोटे में अवशेष रिक्त भवन	शेष भवनों की संख्या/पात्र आवेदकों की संख्या									
						आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन					आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन							
1	अनुसूचित जाति	21%	11		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0
2	अनुसूचित जनजाति	2%	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	14		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	10	0	0	0
4	सामान्य	50%	26		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	20	0	0	0
	कुल योग-		52	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	0	14	0	0	0	0	38	0	0	0	0

डायाल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) । 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

36/75 प्रकार के भवनों का आवंटन प्रक्रिया एल0आई0जी0 भवनों की संख्या- 76 (36/75 प्रकार)

क्र. सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित प्रतिशत	आवंटन योग्य आरक्षित भवन	पात्र आवेदकों की संख्या	हरिजेन्टल आरक्षण का प्रतिशत एवं पात्र आवेदकों एवं उपलब्ध फ्लैटों की संख्या																				कुल अवशेष भवन			
					मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता सेनानी के अश्रित (5 प्रतिशत)	50 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी (5 प्रतिशत)			परिषद विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी (2 प्रतिशत)			दिव्यांग व्यक्ति (5 प्रतिशत)				वृद्धजन (10 प्रतिशत)				कुल उपलब्ध भवन	हरिजेन्टल हेतु कुल उपलब्ध भवन	हरिजेन्टल हेतु कोटे में प्राप्त आवेदन	हरिजेन्टल हेतु कोटे में अवशेष रिक्त भवन	शेष भवनों की संख्या/पात्र आवेदकों की संख्या				
						आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक					अवशेष भवन		आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन
1	अनुसूचित जाति	21%	16		1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	11	0	0	0
2	अनुसूचित जनजाति	2%	2		0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	20		1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	15	0	0	0
4	सामान्य	50%	38		2	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	11	0	0	0	0	27	0	0	0
	कुल योग-		76	0	4	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	8	0	0	21	0	0	0	0	55	0	0	0

डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) । 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

66/112 प्रकार के भवनों का आवंटन प्रक्रिया एल0आई0जी0 भवनों की संख्या- 56 (66/112 प्रकार)

क्र. सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित प्रतिशत	आवंटन योग्य आरक्षित भवन	पात्र आवेदकों की संख्या	हरिजेन्टल आरक्षण का प्रतिशत एवं पात्र आवेदकों एवं उपलब्ध भवन की संख्या																				कुल अवशेष भवन			
					मा0 विधायक, संसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (5 प्रतिशत)	50 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी (5 प्रतिशत)			परिषद विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी (2 प्रतिशत)			दिव्यांग व्यक्ति (5 प्रतिशत)			वृद्धजन (10 प्रतिशत)			कुल उपलब्ध भवन	हरिजेन्टल हेतु कुल उपलब्ध भवन	हरिजेन्टल हेतु कोटे में प्राप्त आवेदन	हरिजेन्टल हेतु कोटे में अवशेष रिक्त भवन	शेष भवनों की संख्या/पात्र आवेदकों की संख्या						
						आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन					आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन		आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन
1	अनुसूचित जाति	21%	12		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0			
2	अनुसूचित जनजाति	2%	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	15		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	0	0	10	0	0	0			
4	सामान्य	50%	28		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	6	0	0	0	22	0	0	0			
	कुल योग-		56	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	6	0	0	15	0	0	0	41	0	0	0			

डायाल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) | 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

95/162 प्रकार के भवनों का आवंटन प्रक्रिया एल0आई0जी0 भवनों की संख्या- 42 (95/162 प्रकार)

क्र. सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित प्रतिशत	आवंटन योग्य आरक्षित भवन	पात्र आवेदकों की संख्या	हरिजेन्टल आरक्षण का प्रतिशत एवं पात्र आवेदकों एवं उपलब्ध फ्लैटों की संख्या																				कुल अवशेष भवन					
					मा0 विधायक, संसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (5 प्रतिशत)	50 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी (5 प्रतिशत)			परिषद विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी (2 प्रतिशत)			दिव्यांग व्यक्ति (5 प्रतिशत)				वृद्धजन (10 प्रतिशत)					कुल उपलब्ध भवन	हरिजेन्टल हेतु कुल उपलब्ध भवन	हरिजेन्टल हेतु कोटे में प्राप्त आवेदन	हरिजेन्टल हेतु कोटे में अवशेष रिक्त भवन		शेष भवन की संख्या/पात्र आवेदकों की संख्या				
						आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन	आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन						आरक्षित भवन	पात्र आवेदक	अवशेष भवन		
1	अनुसूचित जाति	21%	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	अनुसूचित जनजाति	2%	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	11		1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
4	सामान्य	50%	21		1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
	कुल योग-		42	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	10	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0

डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) | 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

6- असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 6.1 असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये बचत खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- 6.2 आवंटन/पंजीकरण निरस्तीकरण की दशा में सामान्य श्रेणी के आवेदकों की पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों की पंजीकरण धनराशि का शतप्रतिशत कटौती की जाएगी।

7- भवन का भौतिक कब्जा

- 7.1 दिनांक-30.09.2029 तक भवनों का कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 7.2 आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जायेगी। उक्त के उपरान्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर विक्रय करार (Agreement for sale) निष्पादित/पंजीकृत कराना होगा।
- 7.3 विक्रय विलेख एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के पश्चात् ही कब्जा पत्र निर्गत होगा।
- 7.4 आवेदकों द्वारा नियमानुसार भूखण्ड के मूल्य का भुगतान परिषद खाते में विक्रय विलेख सम्पादित कराने से पूर्व schedule-c के अनुसार करना होगा।
- 7.5 कब्जा पत्र जारी होने के उपरान्त कब्जा का प्रस्ताव प्रेषित करने के बावजूद आवंटी द्वारा 3 माह के भीतर कब्जा न लेने पर आवंटी द्वारा प्लॉटेड परियोजनाओं में विलम्ब शुल्क/रख-रखाव शुल्क नियमानुसार देय होगा।

8- तथ्यों को छिपाना

- 8.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधिसम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

9- अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं/शर्त

- 9.1 योजना आवासीय है। अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवासीय हेतु किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय-विलेख एवं आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
- 9.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर जिलाधिकारी अथवा सक्षमस्तर द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड के आधार पर पंजीकरण का उत्तराधिकारियों के नाम परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि किसी एक के नाम के पक्ष में परिवर्तन कराया जाना है तो अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अनापत्ति प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।
- 9.3 पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों/शर्तों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी विनियम यथासंशोधित-2016 के नियम प्रभावी होंगे। परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 9.4 किसी भी सम-सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त को होगा।
- 9.5 शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द, जो इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं व जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार:-

आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अवयस्क पुत्र तथा आवेदक पर पूर्णतया निर्भर अविवाहित पुत्री सम्मिलित होंगे।

सम्पत्ति:-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन से है।

पंजीकरण:-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण खोलते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य:-

30 प्र0 राज्य अथवा राज्याधीन उपक्रम की सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, से है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य:-

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित/आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य:-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य:-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य:-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य:-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य-

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

वर्टिकल आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04
हारिजेन्टल आरक्षण श्रेणी	
मा10 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
शहर	कोड
गाजियाबाद	G
लिंग	कोड
स्त्री	f
पुरुष	m
अन्य	T
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी)	HW
भुगतान का तरीका	कोड
एकमुश्त	1
किश्त	2
सम्पत्ति का प्रकार	आवासीय भवन

नोट:- आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/सक्षम कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) | 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

आनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

क्रम सं०	UP RERA COLLECTION A/c No.	बैंक का नाम एवं पता	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	दूरभाष नं०
01	3000002900000130	पंजाब नेशनल बैंक के०एम० ट्रेड टावर कौशाम्बी गाजियाबाद (रेडिशन ब्लू होटल के पास)	श्रीमती परमीत कौर शाखा प्रबंधक	9873531564

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

श्री अनिल कुमार सिंह
उप आवास आयुक्त
मेरठ जोन, मेरठ।
मो० नं० 8189081006

ई० राकेश चन्द्र
अधीक्षण अभियन्ता
बागपत वृत्त
मो० नं० 8795810033

ई० नीरज कुमार
अधिशासी अभियन्ता
नि०ख० बागपत-02
मो० नं० 8795810195

श्री नृपेन्द्र बहादुर सिंह
सम्पत्ति प्रबन्धक
वसुन्धरा, गाजियाबाद
मो० नं०-8795811528

नामांकन पत्र

आवेदक का एकल फोटो
अथवा संयुक्त रूप से पति पत्नी
आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज फोटो
(हस्ताक्षर इस प्रकार किया जाये
कि आधा फोटो के ऊपर व
आधा फार्म पर हो।)

नामांकन/ Nomination

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती
..... जो रिश्तों में मेरे/मेरी है, को मैं पंजीकरण के नामान्तरण हेतु नामित
करता/करती हूँ।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

पूर्ण पता

.....

.....

.....

.....

सम्पर्क सूत्र:-

परिषद् ई-मेल :- info@upavp.com

वेबसाइट :- www.upavp.in

टोल फ्री नम्बर :- 1800-180-5333

जन सुविधा केन्द्र दूरभाष नं० :- 0522-2236803

डायाल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) । 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

शपथ पत्र

रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित

समक्ष- आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री/श्रीमती/कु0..... पुत्र/पुत्री/पत्नी उम्र
निवासी..... शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि:-

- 1- मैं एतद्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों/शर्तों/विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
- 2- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों के उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
- 3- जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के नाम परिषद का कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त परिषद को दूंगा/दूंगी।
- 4- मैं..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती..... जो रिश्ते में मेरे/मेरी..... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता/करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती जो मेरे/मेरी है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।
- 5- मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी, यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 6- मैं आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर लें।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

- मैं एतद्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 तक दी गई सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि कोई असत्य विवरण मेरे द्वारा जानबूझकर परिषद को दिया गया है तो मेरे विरुद्ध परिषद को ऐसी कोई कार्यवाही करने का जो वह उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

डायाल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) । 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

आनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

- पंजीकरण आवेदन शुल्क ₹0 1000 के साथ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल ₹0 1180 आनलाइन जमा करना होगा।
- आनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक को सर्वप्रथम वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुखपृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Plots/House/Flats पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा सम्बन्धित योजना की समस्त जानकारीयाँ भली-भाँति पढ़कर Apply Online लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से सम्बन्धित मुख्य जानकारीयाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर, निवास-पता, आदि विवरण ऑनलाइन अपलोड/फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Submit बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- Submit करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Confirm करने की दशा में उसके अपने ऑनलाइन पंजीकरण से सम्बन्धित विवरण, यूजर आईडी0/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक Submit पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) बटन का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान अपलोड करना है। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ अपलोड करना अपेक्षित होगा।
- आवेदन पत्र में अंकित Gender कॉलम में पुरुष हेतु 'm' एवं महिला हेतु 'f' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु 'HW' भरें।
- आरक्षण की श्रेणी भरने के लिए पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित “आरक्षण” नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) । 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

पंजीकरण धनराशि का भुगतान

- उपरोक्तानुसार आन-लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट-आउट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-
 - ✓ Visit website www.upavp.in & click on link "Online Registration of Plots/houses/flats"
 - ✓ Click on concerning scheme's webpage link.
 - ✓ Click 'Apply online' link & provide basic details and property.
 - ✓ Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
 - ✓ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as Netbanking/Debit/Credit Card.
 - ✓ If applicant selected 'e-challan' payment mode, then 'e-challan' will be generated.
 - ✓ Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest Bank Branch.
- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।



हमारा प्रयास, आपका आवास

परिषद में ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए जन-सुविधा केन्द्र की स्थापना की है जिसमें आप अपनी शिकायत व समस्या दर्ज कराई जा सकती है।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

104-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

डायल करें: 1800-180-5333 (टोल फ्री) | 0522-2236803 (प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)

   UPHousingBoard  uphousingdevboard  www.upavp.in